न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 151 / 2012 / बाड़मेर

अपीलांट **रेस्पोडेंटगण**

1. खेताराम पुत्र द्वारकाराम वगै. **बनाम** 1.रूपचंद पुत्र भंवरलाल वगै.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम

उपस्थिति

1. वकील श्री सोहनलाल चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंट बावजूद तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः– 08.09.2022

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलार्थीगण अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति है तथा सेटलमेंट में अपीलार्थीगण के पिता के नाम भूमि ग्राम राजमथाई का खसरा नम्बर 523, 677 दर्ज हुई तथा इस भूमि को मृतक भंवरलाल व राधेश्याम ने बिना अपीलार्थीगण के पिता व परिवार की जानकारी के एकतरफा डिक्री प्राप्त की। अपीलार्थीगण वक्त सेटलमेंट ने अपने खातेदारी में दर्ज हुई भूमि मौजा राजमथाई का खसरा नम्बर 523, 677 पर 1 माह पूर्व सार सम्भाल करने व पैमाईश करवाने हेतु हल्का पटवारी के पास गया तो हल्का पटवारी द्वारा ही यह बताया गया कि खसरा नम्बर 523 के कई टुकड़े हो गये है और आपकी खातेदारी में भूमि नहीं रही है। इसलिये आप पैमाईश नहीं करवा सकते तब अपीलार्थीगण ने कहा कि यह भूमि हमारे खातेदारी की वक्त सेटलमेंट से हैं तथा हमारी अनुसूचित जाति की जमीन को हमने कभी बेवा नहीं और न ही इस एवज में कोई प्रतिफल पाया है तो हमारी जमीन का हस्तांतरण कैसे हुआ तब हल्का पटवारी ने मुझे नामान्तकरण संख्या 212 की जानकारी दी तब अपीलार्थीगण ने पोकरण जाकर नामान्तकरण की नकल प्राप्त की तब सर्वप्रथम दिनांक 26.11.2012 को ज्ञान हुआ फिर अपीलार्थीगण ने जैसलमेर में अधिवक्ता करके वाद संख्या 53 / 1971 की नकले दिनांक 05.12.2012 को मांगी जो नकल दिनांक 05.12.2012 को ही प्राप्त की और बाड़मेर में राजस्व अपील अधिकारी का मुख्यालय होने की वजह से बाड़मेर स्थित अधिवक्ता को नकल लाकर दी लेकिन अधिवक्ताओं की न्यायिक कार्यों का बहिष्कार होने की वजह से यह अपील प्रस्तुत नहीं की जा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सकती फिर भी हस्तगत प्रकरण को तकनीकी बिंदुओं पर निस्तारण करने की बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अपील के तथ्योनुसार एवं प्रकरण के तथ्योनुसार नरमाई का रूख रखते हुए। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRD 1983 Page 159
RRD 1998 Page 319
RRD 1996 Page 75

अधिवक्ता अपीलांटगण की एकपक्षीय बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.12.1971 को हस्तगत प्रकरण में निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील करवाई गई। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण द्वारा पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलांटगण अपीलाधीन आदेश की जानकारी इतने समय तक कैसे नहीं हुई। रेस्पोडेंटस अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर हूबहू चस्पा होते है। अपीलांट द्वारा अपील तकरीबन 41 वर्ष की देरी के बाद पेश की गई। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है। अतः अपील अपीलांट मियाद के बिंदु पर खारिज की जाती है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 08.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर